गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

सूचना अधिकार अधिनियम–2005
की धारा–4(1बी) के तहत सूचना

(i) संगठन (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 738(1)/37–2–47–डीए–76 लखनऊ दिनांक 9 मार्च, 1977 द्वारा 137 ग्रामों के क्षेत्र को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया । इन 137 गॉवों में से 19 ग्राम बुलन्दशहर जनपद के भी सम्मिलित थे । कालान्तर में इन ग्रामों को ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अधिसूचित कर दिया गया । ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में गौतमबुद्धनगर जनपद के 12 राजस्व ग्रामों को डिनोटिफाई करके गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कुल क्षेत्रफल लगभग 702 वर्ग किलोमीटर है ।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत शहर का सुनियोजित विकास हेतु अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्मित महायोजना एवं वर्तमान में प्रभावी महायोजना 2021 में दर्शित उपयोगों के अनुसार आवश्यक जन सुविधाओं के विकास हेतु भूमि अधिग्रहीत कर जन सुविधायें विकसित करना एवं जन सामान्य की आवासीय आवश्यकताओं को भूमि स्वंय सुनियोजित विकास हेतु अर्जित कर आवास विकसित कर आवासीय, वाणिज्यक एवं अन्य उपोग हेतु कालोनियां स्वंय व निजी विकासकर्ता के माध्यम से विकसित करना।

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1873 की धारा–5 के अन्तर्गत प्राधिकरण के स्टाफ नियुक्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है जिसके अनुसार उपाध्यक्ष, सचिव, मुख्य लेखाधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य शासन द्वारा निर्धारित हैं एवं उक्त अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए एक वित्तीय कार्य हेतु वित्त नियन्त्रक एवं उनके अधिनस्थ लेखाधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार एवं लेखा लिपिक, अभियन्त्रण कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, सुपरवाईजर, नियोजन कार्य हेतु मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, नगर नियोजक, मुख्य मानचित्रक, मानचित्रक, प्रशासनिक कार्य हेतु विशेष कार्याधिकारी, संयुक्त सचिव, कार्यालय अधीक्षक, मुख्य

लिपिक, लिपिक संवर्ग एवं अन्य तकनीकी कार्य हेतु विशिष्ट श्रेणी के तकनीकी अधिकारी, सहयोग प्रदान करने हेतु नियुक्त हैं ।

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न कार्यों हेतु उपाध्यक्ष द्वारा तकनीकी योग्यता के आधार पर अधिकारियों को अधिकृत किया हुआ है । उपाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी समय–समय पर उपाध्यक्ष व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में तकनीकी परीक्षण उपरान्त समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों, उपविधियों एवं अधिनियमों के प्राविधानों के प्रकाश में यथा निर्धारित समय के अनुसार निर्णय लेकर कार्यों को सम्पादित कराते हैं ।

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापदण्ड

प्राधिकरण के मुख्य कृत्य सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जित करना, अर्जित भूमि पर महायोजना के प्राविधानों के अनुसार नियोजित करना, नियोजन के अनुसार स्थल पर योजनायें विकसित करना एवं आवास विकसित करना, विकसित आवासों को आवंटन नियमावली के प्राविधानों के अनुसार योजना घोषित कर जन सामान्य को नियमानुसार लाटरी ड्रा के माध्यम से आवासीय भवन/भूखण्ड आवंटित करना, आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक एवं सामुदायिक सुविधाओं से सम्बन्धित सम्पत्तियों को नीलामी/टू–बिड सिस्टम के माध्यम से आवंटित करने हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियत समय में सम्पन्न कराने की कार्यवाही करना ।

(v) अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारियों के नियन्त्रणाधीन धारित एवं कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए निम्न नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख उपलब्ध है–

1. भू–अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, — मूल डॉक्यूमेन्ट हेतु क्लिक करें।
2. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973, — मूल डॉक्यूमेन्ट हेतु क्लिक करें।
3. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम–2010, — मूल डॉक्यूमेन्ट हेतु क्लिक करें।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 — मूल डॉक्यूमेन्ट हेतु क्लिक करें।

एवं

उक्त अधिनियमों से सम्बन्धित नियमावलियां, भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि, आवंटन नियमावली, उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम–2010 एव अन्य सम्बन्धित नियम, विनियम व समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देश, अनुदेश/अभिलेख प्राधिकरण में उपलब्ध है।

(vi) ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा धारित, विकसित, अन्तरित, नियोजित सम्पत्तियों से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज, आवंटन सम्बन्धी समस्त पत्रावलियां कम्प्यूटर पर उपलब्ध हैं । प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रतियां भी कम्प्यूटर/स्टेशनरी स्टोर में उपलब्ध हैं एवं अन्य प्रक्रियायें पारदर्शिता हेतु जन सामान्य के लिए कम्प्यूटर/स्टेशनरी स्टोर में उपलब्ध हैं।

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष समय–समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव एवं उन पर लिये गये निर्णय प्राधिकरण बोर्ड बैठक के क्रमांक व तिथि के आधार पर उपलब्ध हैं जिसमें समय–समय पर लिये गये नीतिगत निर्णय अंकित हैं जो निरीक्षण के लिए प्रशासन अनुभाग में उपलब्ध हैं ।

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पंहुच होगी, विवरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली नहीं है परन्तु नीतिगत लिये गये निर्णय सूचीवद्ध रूप में अवलोकन के लिए आम जनता के लिए उपलब्ध हैं ।

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु उत्तर प्रदेश प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1985 अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों हेतु उत्तर प्रदेश प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1985 एवं नगर निगम नियमावली 1960 अंगीकार की हुई है जो कर्मचारियों पर लागू है एवं प्रशासनिक कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू है ।

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हों

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार भुगतान किये जाने वाला वेतन वेबसाईट पर अपलोड है ।

विवरण हेतु क्लिक करें।

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये सवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण की आवंटित बजट

विभिन्न योजनाओं, प्रस्तावों, व्ययों और किये गये सवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टिया एवं अभिकरण को आवंटित बजट वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित तथा कार्यक्रमों के फायदाग्रहिता के विवरण लेखा अनुभाग में उपलब्ध है ।

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारी के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारी के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां भू–अर्जन अनुभाग, नियोजन अनुभाग, मास्टर प्लान अनुभाग, अभियन्त्रण खण्ड व लेखानुभाग में उपलब्ध है ।

(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

प्राधिकरण द्वारा निस्तारित की गई सम्पत्तियों का कम्प्यूटराईजेशन कराया जा रहा है जिसे प्राधिकरण की वेवसाईट के माध्यम से देखा जा सकता है ।

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यक्रम घण्टे सम्मिलित हैं

नागरिकों को दी जाने वाली सूचनायें प्राधिकरण के जन सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त की जाती हैं । प्राधिकरण में लाईब्रेरी अथवा अन्य पढ़ने के कार्य हेतु कोई कमरा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है जो सार्वजनिनक उपयोग में लाया जा रहा हो।
प्राधिकरण में जनसामान्य हेतु हेल्पलाईन सेवा संचालित की जा रही है जिसपर टेलिफोन, मोबाईल के एस.एम.एस., ई–मेल व व्हाटस–एप के माध्यम से वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराई जाती है। हेल्पलाईन से सम्पर्क के विवरण निम्न प्रकार है–

हेल्प लाईन सेवा फोन नंबर– 0120–3342433

एस0एम0एस0–9818988807

E-mail- helplinegda@gmail.com

Facebook- vcgda.ghaziabad@yahoo.in

WhatsApp- 9818988807

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की किसी भी सूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु प्राधिकरण के जन सम्पर्क अधिकारी (श्री एम0पी0 सिंह) तथा सिस्टम एक्जीक्यूटिव (श्री अतुल शर्मा) के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में किया जाता है।

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

अन्य ऐसी सूचनायें जो समय–समय पर दी जाती हैं, उसकी जानकारी प्राधिकरण के जन सम्पर्क कार्यालय से जन सम्पर्क अधिकारी/प्रोग्रामर के माध्यम से स्वंय अथवा लोकल तथा नेशनल समाचार पत्रों के माध्यम से तथा प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर तथा समय–समय पर वेबसाईट पर भी उपलब्ध होती है।

(जन सूचना अधिकारी)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद